

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.2(12)खान/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: **14.03.2017**

—: आदेश :-

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम-23 के अन्तर्गत अधीक्षण भूवैज्ञानिक के पद पर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 31.12.2015 के कार्यवाही विवरण का पुनरावलोकन (रिव्यू) के संबंध में दिनांक 27.01.2017 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा पर निम्नांकित वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण भूवैज्ञानिक (पी.बी.-3-15600-39100 ग्रेड पे 7600/-) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1.	श्री वी.के. वैष्णव (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2014-15
2.	श्री गोपालराम (अजा)	2014-15
3.	श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित) (दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्त)	2015-16
4.	श्री अरुण कुमार मालू (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
5.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
6.	श्री आर.एस. पालीवाल (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
7.	श्री बी.एस. राठौड़ (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
8.	श्री अजय शर्मा (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
9.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16
10.	श्री अनिल कुमार वर्मा	2015-16
11.	श्री जी.एस. निर्वाण (गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित)	2015-16

पदोन्नति फलस्वरूप उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या-1, 4 से 9 एवं 11पर अंकित अधिकारिगण अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगे ।

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या-2 एवं 10 पर अंकित अधिकारिगण अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।


नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई है के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से


(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान राज्यमंत्री, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान - सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


14/03/17
वरिष्ठ शासन उप सचिव